वित्तीय स्वीकृति

संख्या- 1/2017/47/52-2-2017-2(9)/2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,उ0प्र0,
620, इन्दिरा भवन, ल□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2017

विषयः- जनपद रामपुर मे मा◌ॅडल इण्टर कालेज की स्थापना हेतु पट्टे पर ली गयी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड की भूमि के लिए लीज रेन्ट के भुगतान हेतु अनुपूरक बजट के आयोजनेत्तर पक्ष मे प्राविधानित धनराशि रू0 90,000/- की वित्तीय स्वीकृति के □□□ □□

□□□□,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/□□-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 तथा कार्यायल ज्ञाप संख्या-20/2016/□□-2-1275/□□-2016-244/2016 दिनांक 29.08.2016 के क्रम मे आपके 3990/□0□0□0□□0 /□□ □□ /2014 दिनांक 12.01.2016 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुपूरक बजट मे अनुदान संख्या-48 आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तगत उ0प्र0 □□□/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्डो को अनावर्तक अनुदान मद में प्राविधानित कुल धनराशि रु0-90,000/-(रुपया नब्बे हजार मात्र) □ जनपद रामपुर मे मा◌ॅडल इण्टर कालेज की स्थापना हेतु पट्टे पर ली गयी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड की भूमि के लिए लीज रेन्ट के भुगतान हेतु उ0प्र0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ को आवंटित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं◌ः-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि केवल जनपद रामपुर मे मा◌ॅडल इण्टर कालेज की स्थापना हेतु पर ली गयी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड की भूमि के लिए लीज रेन्ट के भुगतान के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लिये ही व्यय किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि किसी अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी।

(3) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरक /केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक , उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी समय≤ पर निर्गत शासनादेशों विशेषकर शासनादेश संख्या-सी0ए0-934/□□-2008-□□□0-1/2007 दिनांक 02-11-2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह पत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी

(6) अवमुक्त धनराशि के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरण सहित, प्रगति आख्या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा, निदेश□, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,□0प्र0 के माध्यम से शासन को उपलब्ध करा□□□□□

2- उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष होने वाला ब्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुपूरक अनुदान के अनुदान संख्या-48 के आयोजनेत्तर मद के अन्तगत लेखा शीर्षक " 2250-अन्य सामाजिक सेवायें-102-धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन-05-□0प्र0 □□□/सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्डो को अनावर्तक अनुदान-20-□□□□□□□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□□ □□□□□

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/□□-1-724/□□- 2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)

□□□□□

संख्या-47 (1)/52-2-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- □□□□□□□□□, □□□, प्रथम/आडिट, प्रथम, □0प्र0, □□□□□□□□□

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड,लखनऊ।
4- वित्त/लेखाधिकारी,अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय,उ0प्र0 □□□□□
5- मुख्य कोषाधिकारी,ज□□□□ □□□,□□□□□
6- वित्त (ब्यय-नियंत्रण) □□□□-11
7- □□□□□ □□□□-3/वित्त (आ□-ब्ययक) □□□□-1/4
8- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
□□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।